10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

R-2706-PBR/14 निगरानी प्रकरण क्रमांक /पी.बी.आर./2014

श्यामनाथ शर्मा, आयु लगभग 46 वर्ष
आत्मज श्री एस.एन.शर्मा
निवासी – ई–5/137, अरेरा कालोनी, भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

1. श्री गिरधारीलाल आत्मज केशूराम बागौरा
   निवासी – 51, नेहरू नगर, भोपाल
2. लहरीलाल दवे आत्मज तुलसीराम दवे
   निवासी – ई.डब्ल्यू.एच.651, कोटरा भोपाल
3. गोपीलाल आत्मज नाथूलाल भट्ट
   निवासी – जे–83, हर्षवर्धन नगर, भोपाल
4. रजियाबाई पत्नी स्व.श्री सालकराम
5. सीताराम आत्मज सालकराम
6. श्यामसुंदर आत्मज नारायण
7. महेन्द्रपाल सिंह
8. वीरेन्द्रपाल सिंह
   दोनों आत्मज श्री अवतार सिंह बेदी
9. श्रीमती शांतिदेवी पत्नी श्री अवतार सिंह बेदी
10. मेसर्स सी.आई.बिल्डर्स
    द्वारा प्रबंधक राकेश मलिक
    आत्मज श्री जगप्रवेश
    निवासी – ई–4/40, अरेरा कालोनी, भोपाल
11. राजेश वाधवानी आत्मज स्व.श्री बी.जी.वाधवानी
    निवासी – सी–32, निशातपुरा भोपाल
12. श्रीमती पुष्पा तिवारी पत्नी स्व.श्री श्यामलाल तिवारी
    निवासी – ई–109/7, शिवाजी नगर, भोपाल
13. संजय पालीवाल आत्मज श्री महेन्द्र पालीवाल
    निवासी – सीहोर (म.प्र.)

...........अनावेदकगण

श्री देवेन्द्र साहू अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13-8-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 13.8.14

20-8-14

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16.6.2014 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 18/अपील/12–13 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल पक्षकारगण गिरधारीलाल व अन्य विरूद्ध रजियाबाई व अन्य

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 10 रु. कोर्ट फी Rs.10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर श्यामनाथ / गिरधारी

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2706–पीबीआर / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–8–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना टी0 टी0 नगर वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 16–6–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि अपर कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 67 / निगरानी / 06–07 में पारित आदेश दिनांक 29–6–2007 से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन सर्वे नंबर में प्रस्तावित पक्षकारों का हित निहीत प्रतीत होता है । अतः उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 11 राजेश वाधवानी , अनावेदक क्रमांक 12 श्रीमती पुष्पा तिवारी एवं अनावेदक क्रमांक 13 संजय पालीवाल को पक्षकार बनाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	